समस्त पत्र–व्यवहार "कुलसचिव" को ही संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नहीं । पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक हैं अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

दूरभाष : 2529540,2527532
तार : यूनिव्हर्सिटी
फेक्स : 0731–2529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

विश्वविद्यालय भवन,
इन्दौर–452001

क्रमांक– प्रशा. / तीन (08) / 2017 / 1078 दिनांक :– 23.08.2017

प्रति,
कार्य परिषद् के सम्माननीय सदस्यगण
देवी अहिल्या विश्वविद्यालय,
इन्दौर

विषय : कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 03.08.2017 के कार्य विवरण ।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषय पर कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 03–08–2017 के कार्य विवरण की एक प्रति मय परिशिष्ट में आपकी ओर संलग्न प्रेषित है । आपसे विनम्र निवेदन है कि कार्य विवरण पर यदि कोई टीका हो तो सात दिन में सूचित करने का कष्ट करें।

आदेशानुसार,

संलग्न : यथोपरि

कुलसचिव

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

कार्य–परिषद् की बैठक गुरूवार, दिनांक 3.8.2017 को पूर्वान्ह 11:30 बजे कुलपति कार्यालय के समिति कक्ष, नालंदा परिसर, आर.एन.टी. मार्ग, इन्दौर में आयोजित की गई। गणपूर्ति के अभाव में बैठक स्थगित की गई। स्थगित बैठक 10 मिनट पश्चात् प्रारंभ की गई।

बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :

1.	डॉ. एन.के. धाकड़, कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री चन्द्रशेखर रायकवार	सदस्य
3.	डॉ. कृष्ण कुमार तिवारी	सदस्य
4.	सुश्री नीलम निनामा, संयुक्त–संचालक, कोष एवं लेखा प्रतिनिधि, वित्त विभाग	सदस्य
5.	डॉ.(श्रीमती) पुष्पलता केसरी	सदस्य
6.	श्री अजय वर्मा, प्रभारी कुलसचिव	सचिव

बैठक में निम्नांकित सदस्य अनुपस्थित थे :

1.	प्रो. मोहन लाल छीपा	सदस्य
2.	प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा / प्रतिनिधि	सदस्य
3.	डॉ.(श्रीमती) पुष्पलता केसरी	सदस्य
4.	डॉ.(श्रीमती) सुनीता चन्द्रा	सदस्य
5.	श्रीमती गीता मरकाम	सदस्य
6.	श्रीमती रागिनी मक्खर	सदस्य

बैठक का प्रारम्भ विश्वविद्यालय के कुलगीत से किया गया।

बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपतिजी द्वारा समस्त माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया।

माननीय कुलपतिजी ने अवगत कराया कि –

1. विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम बार ऑन लाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2017 का आयोजन किया गया, जो सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ।
2. इसके सफलतापूर्वक संचालन को दृष्टिगत रखते हुए पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा–2017 के वाणिज्य एवं प्रबंधन विषय की प्रवेश परीक्षा ऑन लाइन आयोजित कराने का प्रयास किया जा रहा है।

परिषद् ने ऑन लाईन संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2017 के सफलतापूर्वक आयोजन पर विश्वविद्यालय को बधाई अभिलिखित की एवं वाणिज्य एवं प्रबंधन विषय में ऑनलाईन पी–एच.डी. प्रवेश परीक्षा हेतु शुभकामनाएं दीं ।

तदुपरांत माननीय अध्यक्ष की अनुमति से कुलसचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

कार्य–वृत्त

विषय क.:1: कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 9.6.2017 के कार्य–विवरण की सम्पुष्टि विषयक।

कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 9.6.2017 के कार्य–विवरण का अवलोकन किया गया एवं निर्णय लिया कि कार्य–परिषद् की बैठक दि.9.6.2017 के कार्य–विवरण की सम्पुष्टि निम्नांकित संशोधनों के साथ की जावे :

(अ) विषय क.14 में लिए गए निर्णय को विलोपित कर निम्नानुसार पढ़ा जाए :

"निर्णय लिया कि कुलसचिव के निज सहायक को अनुविभागीय अधिकारी के समकक्ष पद के वेतनमान के समान छठे वेतनमान रू.9000–34800 के साथ 4200/–ग्रेड पे प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है।"

(कार्यवाही: स्थापना विभाग)

(ब) विषय क.23 में लिए गए निर्णय को विलोपित कर निम्नानुसार पढ़ा जाए :

'निर्णय लिया कि भवन समिति की बैठक दिनांक 1.5.2017 की अनुशंसाओं को मान्य किया जाए।"

(कार्यवाही: यांत्रिकी विभाग)

(स) विषय क्र.24 में लिए गए निर्णय को विलोपित कर निम्नानुसार पढ़ा जाए :

'निर्णय लिया कि भवन समिति की बैठक दिनांक 25.5.2017 की अनुशंसाओं को मान्य किया जाए।"

(कार्यवाही: यांत्रिकी विभाग)

(द) विषय क.46(द) लिए गए निर्णय को विलोपित कर निम्नानुसार पढ़ा जाए :

"निर्णय लिया कि पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला के दै.वे.भो. कर्मचारी श्री लाखन सिंह टैगोर को दिनांक 1.9. 2016 से वेतन प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी जाए। सेवा में अनुपस्थित अवधि के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाए।"

(कार्यवाही: स्थापना विभाग एवं पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला)

विषय क.:2: कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 9.6.2017 में लिए गए निर्णयों पर अनुगामी कार्यवाही के पालन प्रतिवेदन बाबत्।

परिषद् द्वारा कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 9.6.2017 में लिए गए निर्णयों पर अनुगामी कार्यवाही ग्राह्य की गई।

(कार्यवाही: प्रशासन विभाग)

विषय क.:3: <u>भवन समिति की बैठक दिनांक 1.5.2017 एवं 25.5.2017 की अनुशंसाओं के अनुमोदन बाबत्।</u>

उपरोक्त विषय पर निर्णय विषय क.1(ब) एवं 1(स) पर अंकित किया गया है।

(कार्यवाहीः यांत्रिकी विभाग)

विषय क.:4: <u>विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठकें कमशः दिनांक 14.6.2017, 27.6.2017, 7.7.2017 एवं 19.7.2017 के कार्य–विवरणों पर विचार।</u>

विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठकें कमशः दिनांक 14.6.2017, 27.6.2017, 7.7.2017 एवं 19.7.2017 के कार्य–विवरणों के अवलोकन उपरांत निर्णय लिया कि विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठकों दिनांक 14.6.2017, 27.6.2017, 7.7.2017 एवं 19.7.2017 की अनुशंसाएं मान्य की गई।

(कार्यवाहीः शैक्षणिक विभाग)

विषय क.:5: <u>विकलांग एवं छात्र दुर्घटना सहायता समिति हेतु एक सदस्य मनोनीत किए जाने बाबत्।</u>

निर्णय लिया गया विकलांग छात्र सहायता कोष एवं छात्र दुर्घटना सहायता कोष समिति हेतु श्री तुलसीराम सिलावट को सदस्य मनोनीत किया जाए।

(कार्यवाहीः छात्र कल्याण विभाग)

विषय क.:6: <u>महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इन्दौर में प्राचार्य के पद पर नियुक्ति के अनुमोदन बाबत्।</u>

महर्षि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इन्दौर में प्राचार्य के पद पर नियुक्ति संबंधी अभिलेखों में निम्न त्रुटियों की ओर कार्य–परिषद् सदस्य डॉ.के.के. तिवारी द्वारा ध्यानाकर्षित कराया गया :

(1) शासी निकाय के कार्य–विवरण में बैठक आयोजित होने का दिनांक 5.5.2016 अंकित है, जबकि बैठक दिनांक 5.5.2017 को सम्पन्न हुई।

(2) समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के स्थान पर उपाध्यक्ष–श्री यतीश सक्सेना ने 'for' करके हस्ताक्षर किए हैं, जो नियमानुसार नहीं है।

(3) अनुभव प्रमाण–पत्र पर आवेदक के नाम की स्पेलिंग गलत अंकित है।

निर्णय लिया गया कि उपरोक्त त्रुटियों को उल्लेखित करते हुए शासी निकाय के विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए एवं महाविद्यालय की शासी निकाय के अध्यक्ष से भी स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए एवं कार्य–परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क्र.:7: इन्दौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, इन्दौर में प्राचार्य के पद पर नियुक्ति के अनुमोदन बाबत्।

कार्य–परिषद् सदस्य डॉ.के.के. तिवारी द्वारा ध्यानाकर्षित कराया गया कि इन्दौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, इन्दौर में प्राचार्य के पद पर नियुक्ति बार काउन्सिल ऑफ इंडिया एवं यूजीसी के नियमानुसार नहीं है। बार काउन्सिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 2.1.2017 के Chapter IX-Minimum Qualification of the Faculty Staff के नियम 53 (1)(2) तथा नियम 58 एवं UGC Regulations on Minimum qualifications for Appointment of Teachers in University and Other Law Colleges का पालन नहीं किया गया है।

निर्णय लिया कि चयन समिति एवं शासी निकाय के विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों को नियमों की प्रति प्रेषित करते हुए उपरोक्तानुसार स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए। महाविद्यालय की शासी निकाय के अध्यक्ष से भी स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए एवं कार्य–परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क्र.:8: रोशन कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, धार में प्राचार्य के पद पर नियुक्ति के अनुमोदन बाबत्।

निर्णय लिया कि रोशन कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन, धार में महाविद्यालय की शासी निकाय की बैठक 5.6.2017 में अनुशंसित डॉ. उदय कालभवर की प्राचार्य के पद पर नियुक्ति मान्य की गई।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क्र.:9: एल.एस.ए. महाविद्यालय, धार में प्राचार्य के पद पर नियुक्ति के अनुमोदन बाबत्।

निर्णय लिया कि प्रकरण से संबंधित संलग्न अभिलेख पढ़ने योग्य न होने के कारण एल.एस.ए.महाविद्यालय, धार में प्राचार्य के पद पर नियुक्ति का अनुमोदन नहीं किया जाए। प्रकरण को पढ़ने योग्य अभिलेखों के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

यह भी निर्णय लिया कि भविष्य में प्रकरण के साथ संलग्न अभिलेख स्पष्ट हों एवं अनावश्यक अभिलेख संलग्न नहीं किए जाएं।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क्र.:10: माह जनवरी से फरवरी 2017 तक की सेमेस्टर एवं मुख्य परीक्षाओं के प्रकरणों के संबंध में यू.एफ.एम. समिति के निर्णय अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय लिया कि माह जनवरी से फरवरी 2017 तक की सेमेस्टर एवं मुख्य परीक्षाओं के प्रकरणों के संबंध में यू.एफ.एम. समिति के निर्णय मान्य किए गए/ स्वीकृति प्रदान की गई।

(कार्यवाहीः गोपनीय विभाग)

विषय क्र.:11: माह अप्रैल से मई 2017 तक की सेमेस्टर एवं मुख्य परीक्षाओं के प्रकरणों के संबंध में यू.एफ.एम. समिति के निर्णय अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय लिया कि माह अप्रैल से मई 2017 तक की सेमेस्टर एवं मुख्य परीक्षाओं के प्रकरणों के संबंध में यू.एफ.एम. समिति के निर्णय मान्य किए गए।

(कार्यवाहीः गोपनीय विभाग)

विषय क्र.:12: वर्ष 2017 की सेमेस्टर एवं मुख्य परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले / प्रयोग करने का प्रयास करने वाले छात्र / छात्राओं के प्रकरण के निराकरण हेतु निर्णायक समिति के गठन पर विचार।

चूंकि उक्त विषय पर चर्चा नहीं हो सकी, अतः प्रकरण कार्य परिषद् की आगामी बैठक में रखा जाएगा।

(कार्यवाहीः गोपनीय विभाग)

विषय क्र.:13: स्वास्थ्य केन्द्र में डिस्काउन्टेड रेट्स पर पैथालाजी जांच की व्यवस्था पर विचार करने बाबत्।

निर्णय लिया कि स्वास्थ्य केन्द्र में सेन्ट्रल लैब, इन्दौर द्वारा चैरिटी आधार पर सब्सिडाईज़्ड रेट्स पर लैब की सेवाएं प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव मान्य किया गया।

(कार्यवाहीः स्वास्थ्य केन्द्र)

विषय क्र.:14: कुलसचिव के निज सहायक पद के ग्रेड पे में विसंगति संबंधी।

उपरोक्त विषय के संबंध लिया गया निर्णय विषय क्र.1(अ) पर अंकित किया गया है।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:15: विश्वविद्यालय के नेमावर रोड स्थित अंकुर समता परिसर, कन्या छात्रावास की सीवर लाइन नगर निगम की डेनेज लाइन से जोड़ने बाबत्।

निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के नेमावर रोड स्थित अंकुर समता परिसर एवं कन्या छात्रावास की सीवर लाइन नगर निगम की डेनेज लाइन से जोड़ने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह भी निर्णय लिया कि राशि न दिए जाने हेतु नगर–निगम को पत्र प्रेषित किया जाए।

(कार्यवाहीः यांत्रिकी विभाग)

अध्यक्ष की अनुमति से

विषय क.:16: डॉ. निर्मला सावन, व्याख्याता, आय.आय.पी.एस. के संतान पालन अवकाश की स्वीकृति बाबत्।

निर्णय लिया कि डॉ. निर्मला सावन, व्याख्याता, आय.आय.पी.एस. को दिनांक 21.8.2017 से दिनांक 16.12.2017 तक 3 माह 27 दिन (कुल 118) दिन के संतान पालन अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क.:17: बी.वॉक. एवं एम.वॉक. पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने बाबत् सूचना।

निर्णय लिया कि समन्वय समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय द्वारा बी.वॉक. एवं एम.वॉक. पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए जाने की सूचना ग्रहण की जाए।

(कार्यवाहीः प्रौढ़ शिक्षा एवं दीनदयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र)

विषय क.:18: दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की सेवाशर्तें नियम 2013 के संबंध में विचार।

निर्णय लिया कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रकाशित असाधारण राजपत्र दिनांक 30.5.2013 की कंडिका–7 में उल्लेखित नियम के अनुसार श्री रमेश चौहान, पूर्व दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, प्रबंध अध्ययन संस्थान् को रू.1,00,000/– दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क.:19: पीएच–डी.एवं डी.लिट् उपाधि प्रदान करने बाबत् कुलपतिजी द्वारा की गई कार्यवाही सूचनार्थ।

निर्णय लिया कि शोधार्थियों की मौखिकी परीक्षा संतोषजनक होने एवं परीक्षकों द्वारा शोध उपाधि प्रदान किए जाने की अनुशंसानुसार दिनांक 31.8.2015 से 14.6.2017 तक कुल 446 शोधार्थियों को संबंधित विषय एवं संकाय में शोध उपाधि प्रदान किए जाने की माननीय कुलपतिजी द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना ग्रहण की गई।

(कार्यवाहीः गोपनीय विभाग)

विषय क.:20: डॉ. गेंदलाल प्रजापति, रीडर, आई.आई.टी. के दिनांक 18.6.2017 से 25.7.2017 तक 38 दिन के कर्तव्य अवकाश की स्वीकृति अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय लिया कि डॉ. गेंदलाल प्रजापति, रीडर, आई.आई.टी. के दिनांक 18.6.2017 से 25.7.2017 तक 38 दिन के कर्तव्य अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाए एवं उसका अनुमोदन किया जाए।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क.:21: उमिया कन्या महाविद्यालय, इन्दौर में प्राचार्य के पद पर नियुक्ति का अनुमोदन बाबत्।

परिषद द्वारामहाविद्यालय की शासी निकाय के अध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय प्रतिनिधि से प्राप्त स्पष्टीकरण का अवलोकन किया गया एवं निर्णय लिया कि उमिया कन्या महाविद्यालय, इन्दौर की शासी निकाय की बैठक 17.12.2016 में अनुशंसित डॉ. अनुपमा छाजेड़ की प्राचार्य के पद पर नियुक्ति मान्य की गई।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क.:22: डॉ. शिल्पा बागदरे, व्याख्याता, आय.आय.पी.एस.के संतान पालन अवकाश की स्वीकृति विषयक।

निर्णय लिया कि डॉ. निर्मला सावन, व्याख्याता, आय.आय.पी.एस. को दिनांक 21.8.2017 से दिनांक 19.5.2018 तक 8 माह 29 दिन (कुल 270) दिन के संतान पालन अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क.:23: श्री हेमन्त मेहता, व्याख्याता, कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययनशाला के त्याग–पत्र स्वीकृति बाबत्।

निर्णय लिया कि श्री हेमन्त मेहता, कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययनशाला द्वारा दिनांक 29.8.2014 को प्रस्तुत व्याख्याता पद से त्याग–पत्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क.:24: विश्वविद्यालय द्वारा हिन्दी/ अंग्रेजी उपाधि एक ही प्रारूप तथा गुणावत्तापूर्ण प्रिटिंग में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को प्रदान करने विषयक।

निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को हिन्दी/ अंग्रेजी उपाधि एक ही प्रारूप तथा गुणावत्तापूर्ण प्रिंटीग में प्रदान करने बाबत् गठित समिति की दिनांक 28.6.2017 की अनुशंसाएं मान्य की जाएं।

(कार्यवाहीः परीक्षा विभाग)

विषय क.:25: मेसर्स थर्ड आई सिक्यूरिटी सर्विसेस की कार्यावधि में वृद्धि विषयक।

निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय परिसरों की सुरक्षा हेतु नवीन टेण्डर प्रकियाधीन होने से पूर्व से कार्यरत सूरक्षा एजेन्सी मेसर्स थर्ड आई सिक्यूरिटी सर्विसेस की कार्यावधि में माह मई 2017 से अगस्त 2017 (चार माह) की वृद्धि की जाए।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क.:26: म.प्र. भंडार कय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 विश्वविद्यालय में लागू करने के निर्णय का कार्योत्तर अनुमोदन बाबत्।

निर्णय लिया कि म.प्र. भंडार कय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 को लागू करने के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, भोपाल द्वारा जारी आदेश क.एफ.6–14/2012/अ–ग्यारह दिनांक 28.7.2015 को विश्वविद्यालय में लागू हेतु कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाहीः भंडार विभाग)

विषय क्र.:27: बी.ए.एल–एल.बी. आनर्स पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान पाने वाले विद्यार्थी को स्वर्ण पदक देने के संबंध में।

श्री अक्षय कांति बम, चेयरमेन, इन्दौर इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ द्वारा श्रीमती निर्मला कांती बम की स्मृति में बी.ए.एल–एल.बी. आनर्स पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान पाने वाले विद्यार्थी को स्वर्ण पदक संस्थापन की हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

निर्णय लिया कि नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कराए जाने के उपरांत स्वर्ण पदक संस्थापन की स्वीकृति प्रदान की जाए। यह स्वर्ण पदक सत्र 2017–18 से प्रदान किया जाएगा।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क्र.:28: डॉ. सुनीता चन्द्रा, माननीय कार्य–परिषद् सदस्या से प्राप्त ई–मेल पत्र दिनांक 14 जुलाई, 2017 अवलोकनार्थ प्रेषित।

कार्य–परिषद् द्वारा पत्र अवलोकन कर चर्चा की गई।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क्र.:29: दिनांक 31.7.2017 को सम्पन्न वित्त समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण एवं अनुशंसा की स्वीकृति बाबत्।

निर्णय लिया कि दिनांक 31.7.2017 को सम्पन्न वित्त समिति की बैठक की अनुशंसाएं मान्य की गईं।

(कार्यवाहीः वित्त विभाग)

विषय क्र.:30: विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 26.7.2017 के कार्य–विवरणों पर विचार।

विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 26.7.2017 के कार्य–विवरणों के अवलोकन उपरांत निर्णय लिया कि विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 26.7.2017 की अनुशंसाएं मान्य की गई।

(कार्यवाहीः शैक्षणिक विभाग)

विषय क्र.:31: डॉ.अजीत सिंह सेहरावत, तत्कालीन कुलपति के कार्यकाल में वर्ष 2009 में नियुक्त/ पदोन्नत शिक्षकों द्वारा वार्षिक वेतनवृद्धि एवं सेवा संबंधी लाभ दिए जाने के संबंध में।

निर्णय लिया कि सुश्री सोना फटिंग, व्याख्याता, प्रबंध अध्ययन संस्थान् द्वारा दायर याचिका क्र.3846/2017(एस) एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.7.2017 तथा डॉ. प्रेरणा कुमार, व्याख्याता, आय.आय.पी.एस.द्वारा दायर याचिका क्र.2968/2017 (एस) एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.7.2017 के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार कार्यवाही की जाए एवं कुलाधिपति सचिवालय को भी विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही एवं न्यायालयीन निर्णय से अवगत कराया जाए।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:32: नवीन सत्र 2017–18 माह जुलाई से छात्रावास शुल्क में वृद्धि करने पर विचार।

निर्णय लिया कि नवीन सत्र 2017–18 माह जुलाई से छात्रावास शुल्क में प्रतिमाह रू.500/– में वृद्धि कर इस प्रकार 11 माह रू.5500/– (रूपए पांच हजार पांच सौ मात्र) की वृद्धि की जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(कार्यवाही: चीफ वार्डन)

विषय क्र.:33: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एम.फिल./ पीएच.डी. उपाधियों हेतु जारी **Regulations 2016** के अनुसार संशोधित अध्यादेश क्र.18 एवं 21 के अनुसार एम.फिल./ पीएच.डी.की प्रवेश परीक्षा आयोजित करने हेतु अनुमोदन बाबत्।

निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी **Regulations 2016** के अनुसार संशोधित अध्यादेश क्र.18 एवं 21 के अनुसार एम.फिल./ पीएच.डी.की प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही: शैक्षणिक विभाग)

विषय क्र.:34: संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2017 की चयन सूची और छात्रों का डाटा लीक होने के संबंध में दिनांक 3 अगस्त, 2017 को 'नईदुनिया' समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार पर विचार।

विचारोपरांत निर्णय लिया कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा–2017 की चयन सूची और छात्रों का डाटा लीक होने पर विश्वविद्यालय द्वारा पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाए एवं संयुक्त प्रवेश परीक्षा के उत्तर में त्रुटि करने वाले पेपर सेटर को आगामी तीन वर्ष तक उपरोक्त कार्य से वंचित किया जाए।

(कार्यवाही: अध्यक्ष,सीईटी)

विषय क्र.:35: स्व–वित्त कर्मचारियों के वेतन निर्धारण बाबत्।

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 09.06.2017 की बैठक में विषय कमांक 36 के अनुसार स्ववित्त संस्थानों/अध्ययनशालाओं में स्ववित्त के अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन में 1.86 की बढ़ोत्तरी की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस निर्णय के परिपालन में विश्वविद्यालय द्वारा आदेश पारित कर संबंधित निदेशकों/विभागाध्यक्षों को कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गए। संबंधित निदेशक/विभागाध्यक्षों द्वारा वेतन निर्धारण कर प्रकरण प्रस्तुत किए गए।

माननीय कुलपति द्वारा कार्य–परिषद् के निर्णयानुसार विभागों द्वारा कर्मचारियों के निर्धारित किए गए वेतन का परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निम्न समिति का गठन विभागीय आदेश कमांक स्ववित्त वेतन निर्धारण/2017/716 दिनांक 27.07.2017 द्वारा किया गया :

(1) निदेशक, आई.ई.टी. – अध्यक्ष
(2) निदेशक, आय.एम.एस. (3) .निदेशक, आय.आय.पी.एस.
(4) डॉ. अर्चना रांका, विधि सलाहकार (5) वित्त नियंत्रक

समिति की बैठक दिनांक 29.7.2017 को सम्पन्न हुई।

समिति द्वारा विभागवार वेतन निर्धारण हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किए जाने हेतु अवगत कराया /अनुशंसा की गई :

1. दिनांक 04.11.2011 की स्थिति में संविदा कर्मचारियों के समेकित वेतन में (20प्रतिशत अंतरिम राहत) 1.20 का गुणा कर वेतन की गणना की गई।
2. दिनांक 04.11.2011 की स्थिति में संविदा कर्मचारियों के समेकित वेतन में 1.86 का गुणा कर वेतन की गणना की गई।
3. समान केडर में कार्यरत नियमित कर्मचारियों के माह नवम्बर 2011 में सकल वेतन की गणना की गई।
4. इन दोनों वेतनों की तुलना की गई एवं इनमें से जो भी राशि कम थी उस पर कर्मचारी का नवीन समेकित वेतन निर्धारित किया गया।
5. कमांक 4 से जिस वेतन की गणना की गई उसमें से कमांक 1 से जिस वेतन की गणना की गई थी उसे घटाया गया।
6. जो कर्मचारी अपनी निर्धारित ग्रेड के अनुसार अधिकतम सीमा तक नहीं पहुँचे थे उन्हें प्रतिवर्ष सितम्बर माह में उस ग्रेड के न्यूनतम का 5 प्रतिशत वेतन वृद्धि दी गई। कार्य परिषद की बैठक दिनांक 15.01.2009 के परिपालन में विश्वविद्यालय द्वारा पारित आदेश कमांक स्थापना/09/287 दिनांक 04.02.2009 में दी गई तालिका के अनुसार अधिकतम सीमा निर्धारित की गई। (परिशिष्ट संलग्न है।)
7. समेकित वेतन की गणना हेतु उपरोक्त 4 बिन्दुओं के अनुसार सितम्बर 2012, 2013, 2014, 2015 एवं 2016 में प्रकिया का पालन किया गया।
8. उपरोक्त प्रकिया में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को सम्मिलित नहीं किया गया।
9. जिन कर्मचारियों के नाम न्यायालयीन प्रकरण की सूची में शामिल नहीं है उन्हें इस प्रकिया में सम्मिलित नहीं किया गया।
10. पी.एफ., आयकर एवं ईएसआय इत्यादि कटोत्रा नियमानुसार किया जाये।
11. उक्त कर्मचारियों को नवम्बर 2011 से 20 प्रतिशत (0.20) अंतरिम राहत के रूप में दिया जा रहा है। दि.04.11.2011 से 66 प्रतिशत (0.66) का भुगतान किया जाना है एवं आगामी वेतन का भुगतान 1.86 के अनुसार किया जाना है।

निर्णय लिया कि समिति की अनुशंसा अनुसार वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जाए तथा अतिरिक्त महाधिवक्ता म.प्र. शासन के अभिमत अनुसार शपथ–पत्र लेकर उपरोक्त अनुशंसानुसार आगामी कार्यवाही की जाए।

(कार्यवाही: स्थापना विभाग)

विषय क्र.:36: माननीय कार्य–परिषद् सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों/ प्रस्तावों पर विचार।

1. डॉ. के.के. तिवारी द्वारा सुझाव दिया गया कि–

(अ) कार्य–परिषद् के निर्णयों की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की जाए।

निर्णय लिया कि उक्त सुझाव मान्य किया जाए एवं छःमाह में एक बैठक आयोजित कर कार्य–परिषद् के निर्णयों की समीक्षा की जाए। (कार्यवाही: प्रशासन विभाग)

(ब) कार्य–परिषद् के निर्णयों की विज्ञप्ति समाचार–पत्रों में देने से पूर्व विज्ञप्ति का प्रारूप समस्त माननीय सदस्यों के वाट्सएप पर भेजा जाएं। 30 मिनिट इंतजार किया जाए। यदि कोई आपत्ति दर्ज नहीं होती है, तो 31 मिनिट पर विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के लिए प्रेषित की जाएं।

उक्त सुझाव मान्य किया गया।

(कार्यवाही: मीडिया प्रभारी)

(स) माननीय औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा जारी आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका क्र.WP/725/15(S) प्रस्तुत की गई है, उसे वापस लिया जाए।

निर्णय लिया कि इस संबंध में विधिक परामर्श लिया जाए। (कार्यवाही: स्थापना विभाग)

2. श्री चन्द्रशेखर रायकवार द्वारा सुझाव दिया गया कि –

(अ) छात्र हित को ध्यान में रखते हुए माह सितम्बर–अक्टूबर, 2017 तक एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की जाए। इस संगोष्ठी में राष्ट्रीय स्तर के वक्ता को आमंत्रित किया जाए।

निर्णय लिया कि उक्त सुझाव मान्य किया जाए।

(कार्यवाही: पत्रकारिता एवं जनसंचार अध्ययनशाला)

3. सम्माननीय सदस्यों द्वारा स्मरण कराया गया कि कार्य परिषद् द्वारा माननीय कुलपतिजी के लिए नई कार क्रय करने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, अतः नई कार क्रय करने की कार्यवाही शीघ्रातिशीघ्र की जाए।

(कार्यवाही: वाहन प्रभारी)

बैठक के अंत में डॉ. जयंत सोनवलकर का, कार्य–परिषद् सदस्य के रूप में कार्यकाल पूर्ण होने पर, पुष्प–गुच्छ एवं शॉल, श्रीफल देकर अभिनंदन किया गया। डॉ. जयंत सोनवलकर ने भी कार्य–परिषद् का आभार व्यक्त किया।

अंत में अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित कर एवं राष्ट्रीय गान के साथ बैठक समाप्त की गई।

हस्ता/–	हस्ता/–
(अजय वर्मा)	(डॉ. एन.के. धाकड़)
प्रभारी कुलसचिव/ सचिव	कुलपति/ अध्यक्ष